

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं०- ल०सि०मो०/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) 429 पटना, दिनांक- 07/01/2025
प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
सेपरामर्शित

संगीता सिंह, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत सहजादपुर पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 454.934 लाख (चार करोड़ चौवन लाख तिरानवे हजार चार सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत सहजादपुर पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 454.934 लाख (चार करोड़ चौवन लाख तिरानवे हजार चार सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	सहजादपुर पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य	पटना	पंडारक	454.934	604

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि०, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
- दिनांक-26.12.2024 को सं०सं०-ल०सि०मो०/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) के पृ०-07/टि० पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
- संबंधित संचिका के पृ०-08/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
- वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे ।

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन


(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 429

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 429

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 429 पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- ल0सिं0मो0/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) 430

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
सेपरामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत शेखपुरा पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 77.358 लाख (सतहत्तर लाख पैंतीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत शेखपुरा पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 77.358 लाख (सतहत्तर लाख पैंतीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	शेखपुरा पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य	पटना	नौबतपुर	77.358	40

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
- दिनांक-26.12.2024 को सं0सं0- ल0सिं0मो0/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) के पृ0-07/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
- संबंधित संचिका के पृ0-02/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
- वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे ।

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन



(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 430

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 430

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव

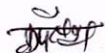
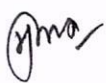
ज्ञापांक- 430

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव



बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- ल0सिं0मो0/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) 431
प्रेषक,

पटना, दिनांक- 07/01/2025

अनौपचारिक रूप
सेपरामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत राईस एवं करमौर पर्ईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 145.401 लाख (एक करोड़ पैंतालीस लाख चालीस हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।
आदेश:- स्वीकृत ।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत राईस एवं करमौर पर्ईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 145.401 लाख (एक करोड़ पैंतालीस लाख चालीस हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	राईस एवं करमौर पर्ईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य	पटना	पंडारक	145.401	233

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ब्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
- दिनांक-26.12.2024 को सं0सं0- ल0सिं0मो0/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) के पृ0-07/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
- संबंधित संचिका के पृ0-22../टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
- वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे ।

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 431

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 431

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

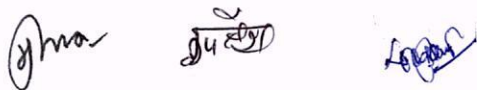
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 431

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव



बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- ल0सं0मो0/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) 432

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
सेपरामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत परसावों पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रूपये 287.398 लाख (दो करोड़ सतासी लाख उनचालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत परसावों पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रूपये 287.398 लाख (दो करोड़ सतासी लाख उनचालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	परसावों पईन का जीर्णोद्धार कार्य	पटना	पंडारक	287.398	420

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
- दिनांक-26.12.2024 को सं0सं0- ल0सं0मो0/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) के पृ0-07/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
- संबंधित संचिका के पृ0-0.8/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
- वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।
 14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 432

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 432

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 432 पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं०- ल०सि०मो०/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) 433

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
सेपरामर्शित

संगीता सिंह, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत नदवॉ पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रूपये 97.455 लाख (सत्तानवे लाख पैतालीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत नदवॉ पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रूपये 97.455 लाख (सत्तानवे लाख पैतालीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	नदवॉ पईन का जीर्णोद्धार कार्य	पटना	बाढ़	97.455	184

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्ब्य एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि०, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
- दिनांक-26.12.2024 को सं०सं०- ल०सि०मो०/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) के पृ०-07/टि० पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
- संबंधित संचिका के पृ०-08/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
- वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे ।

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन



(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— 433

पटना, दिनांक— 07/01/2025

प्रतिलिपि:— वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— 433

पटना, दिनांक— 07/01/2025

प्रतिलिपि:— विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

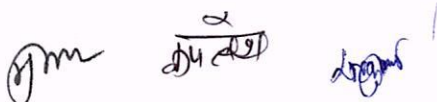
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— 433

पटना, दिनांक— 07/01/2025

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव



बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं०- ल०सि०मो०/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) 434

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
सेपरामर्शित

संगीता सिंह, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत रसुलपुर छितौली पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 132.331 लाख (एक करोड़ बत्तीस लाख तैंतीस हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत रसुलपुर छितौली पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 132.331 लाख (एक करोड़ बत्तीस लाख तैंतीस हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	रसुलपुर छितौली पईन का जीर्णोद्धार कार्य	पटना	मनेर	132.331	68

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि०, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
- दिनांक-26.12.2024 को सं०सं०- ल०सि०मो०/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) के पृ०-07/टि० पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
- संबंधित संचिका के पृ०-08/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
- वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे ।

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 434

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 434

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 434 पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

मा

मा

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- ल0सिं0मो0/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) 435

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
सेपरामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत तारणपुर पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 184.645 लाख (एक करोड़ चौरासी लाख चौसठ हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत तारणपुर पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 184.645 लाख (एक करोड़ चौरासी लाख चौसठ हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in lac.)
1	2	3	4	5	6
1	तारणपुर पईन का जीर्णोद्धार कार्य	पटना	सम्पतचक	184.645	389

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
- दिनांक-26.12.2024 को सं0सं0- ल0सिं0मो0/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) के पृ0-07/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
- संबंधित संचिका के पृ0-08/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
- वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे ।

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन


(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 435

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक- 435

पटना, दिनांक- 07/01/2025

सरकार के अपर सचिव

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

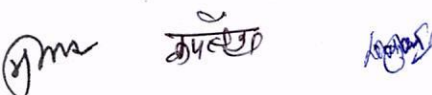
ज्ञापांक- 435 पटना, दिनांक-

07/01/2025

सरकार के अपर सचिव

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव



बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- ल0सिं0मो0/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) 436

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
सेपरामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत गयासपुर पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 34.629 लाख (चौतीस लाख बासठ हजार नौ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत गयासपुर पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 34.629 लाख (चौतीस लाख बासठ हजार नौ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	गयासपुर पईन का जीर्णोद्धार कार्य	पटना	मनेर	34.629	122

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्य एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
- दिनांक-26.12.2024 को सं0सं0- ल0सिं0मो0/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) के पृ0-07/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
- संबंधित संचिका के पृ0-08/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
- वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे ।

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन


(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— 436

पटना, दिनांक— 07/01/2025

प्रतिलिपि:— वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— 436

पटना, दिनांक— 07/01/2025

प्रतिलिपि:— विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— 436 पटना, दिनांक— 07/01/2025

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं०- ल०सि०मो०/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) 437

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
सेपरामर्शित

संगीता सिंह, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत महुली पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 32.45 लाख (बत्तीस लाख पैतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत महुली पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 32.45 लाख (बत्तीस लाख पैतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	महुली पईन का जीर्णोद्धार कार्य	पटना	पटना सदर	32.45	128

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि०, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
- दिनांक-26.12.2024 को सं०सं०- ल०सि०मो०/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) के पृ०-07/टि० पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
- संबंधित संचिका के पृ०-0.8/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
- वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे ।

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन



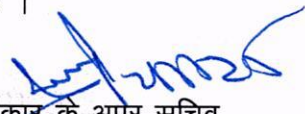
(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— 437

पटना, दिनांक— 07/01/2025

प्रतिलिपि:— वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— 437

पटना, दिनांक— 07/01/2025

प्रतिलिपि:— विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



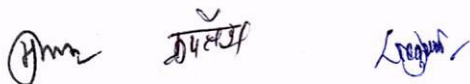
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— 437 पटना, दिनांक— 07/01/2025

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव



बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं०- ल०सि०मो०/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) 438

पटना, दिनांक- 07/01/2025

अनौपचारिक रूप
सेपरामर्शित

संगीता सिंह, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

द्वारा:-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत सराय पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रूपये 59.377 लाख (उनसठ लाख सैंतीस हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत सराय पईन का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रूपये 59.377 लाख (उनसठ लाख सैंतीस हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	सराय पईन का जीर्णोद्धार कार्य	पटना	मनेर	59.377	176

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि०, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
- दिनांक-26.12.2024 को सं०सं०- ल०सि०मो०/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) के पृ०-07/टि० पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
- संबंधित संचिका के पृ०-0.2./टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
- वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे ।

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन


(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 438

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

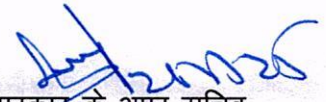


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 438

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



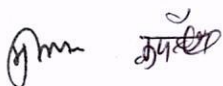
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 438 पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव





बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- ल0सिं0मो0/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) 439
प्रेषक,

पटना, दिनांक- 07/01/2025

अनौपचारिक रूप
सेपरामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत अधपा सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 46.880 लाख (छियालीस लाख अठासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत अधपा सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 46.880 लाख (छियालीस लाख अठासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in lac.)
1	2	3	4	5	6
1	अधपा सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	पटना	फुलवारीशरीफ	46.880	20

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
- दिनांक-26.12.2024 को सं0सं0- ल0सिं0मो0/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) के पृ0-07/टि0 पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
- संबंधित संचिका के पृ0-08/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
- वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे ।

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वसभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 439

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 439

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 439

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

[Signature]

[Signature]

[Signature]

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप
सेपरामर्शित

संगीता सिंह, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत जल गोविन्द का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 241.135 लाख (दो करोड़ इकतालीस लाख तेरह हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत जल गोविन्द का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रुपये 241.135 लाख (दो करोड़ इकतालीस लाख तेरह हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	जल गोविन्द का जीर्णोद्धार कार्य	पटना	बाढ़	241.135	486

- विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
- इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा ।
- इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
- राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
- दिनांक-26.12.2024 को सं०सं०- ल०सि०मो०/HKKP/पटना/2024-25/742/2024 (खण्ड-I) के पृ०-07/टि० पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
- संबंधित संचिका के पृ०-08/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
- वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना होंगे ।

gma *पटना*

पटना

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 440

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 440

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 440

पटना, दिनांक- 07/01/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव